निवेश प्रोत्साहन के लिए 16 से सिर्फ ऑनलाइन आवेदन

लखनऊ। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए निवेशकों को 16 अप्रैल से निवेश मित्र पोर्टल पर विकसित प्रोत्साहन प्रबंधन सिस्टम पर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। औद्योगिक विकास विभाग ने इसके जरिए मिलने वाले आवेदनों को समयबद्ध निस्तारण की तैयारी की है।

मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने 15 अप्रैल के बाद निवेश प्रोत्साहन के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लेने के निर्देश दिए हैं। किसी भी विभाग की ओर से ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिस्टम के प्रभावी संचालन, समस्याओं के निस्तारण के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। उद्यमी को निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। उसके बाद संबंधित सेक्टर की नीति का चयन कर प्रोत्साहन व रियायत पाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। नीति से संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी आवेदन का ऑनलाइन परीक्षण करेंगे। यदि कोई सूचना या दस्तावेज वांछित होगा या कोई आपत्ति होगी तो संबंधित उद्यमी को सूचित किया जाएगा। उद्यमी को 15 दिन की अवधि में संबंधित आपत्ति का निस्तारण करना होगा। ब्यूरो